

2

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू रामचन्द्र पुत्र खीवाराम बनाम तहसीलदार झुन्झुनू मुकदमा नम्बर:- 95/2019 (प्रार्थना-पत्र खाता दुरुस्ती रा.भू राजस्व अधिनियम 1956की धारा 136 )	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
29.11.2019	<p>प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र बाद जांच तहसीलदार झुन्झुनू से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली आदेश में ली जाकर अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 47 व 23 में रामकरण पुत्र खीवाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र खीवाराम दुरुस्त करने का निवेदन किया है जिसकी जांच तहसीलदार झुन्झुनू से करवायी गई। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी जांच रिपोर्ट अशुद्धि नामान्तरकरण संख्या 1286 दिनांक 09.09.1976 के भरते समय हुई जाना अंकित कर रिपोर्ट पेश की है। हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व जांच रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। जिससे प्राथी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम 1956 कह तारीफ में नहीं आता है क्योंकि यह त्रुटि नामान्तरकरण 1286 दिनांक 09.09.1976 के द्वारा हुई जानी रिपोर्ट तहसीलदार से जाहिर है। अतः उक्त नामान्तरकरण की अपील ही उपचार है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;">७ 29/11/19 उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू</p>	

